

सं० 27/14/2012-एस०आर०एस०
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन
दिनांक 26 जून, 2013,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादुन
उत्तराखंड ।

विषय:- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में श्री मुकेश कुमार कश्यप, सहायक अध्यापक से प्राप्त राज्य पुनरावंटनार्थ आवेदन पर विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री मुकेश कुमार कश्यप, सहायक अध्यापक से उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन हेतु प्राप्त आवेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 15.01.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति की संज्ञान में लाया गया कि श्री कश्यप की नियुक्ति पर्वतीय उप संवर्ग तथा विकलांग कोटे के अंतर्गत की गई थी । अतः पुनः विकलांगता के आधार पर राज्य पुनरावंटन के पात्र न होने के कारण समिति द्वारा श्री मुकेश कुमार कश्यप, सहायक अध्यापक का आवेदन निरस्त करते हुए उनका अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य बनाये रखे जाने कि संस्तुति की गई ।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री मुकेश कुमार कश्यप, सहायक अध्यापक का अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिये बना रहेगा ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।
Dept. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section

26 JUN 2013

जारी किया गया है

भवदीय,
(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
3. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादुन ।
4. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादुन ।